भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2085**
बुधवार, 19 मार्च, 2025 (28 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

## सहकारी बैंकों का विकास

2085 श्री राघव चड्ढाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में सहकारी बैंकों और उनकी अवसरंचना के विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण सहकारी बैंकों को उनकी पूंजीगत और प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): देश में शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न निर्णय लिए हैं। इनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार हैं:

i. शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना नई शाखाएं खोल सकेंगे, बशर्ते उनकी निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए।
ii. वाणिज्यिक बैंकों की तरह सहकारी बैंक भी बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने में सक्षम हैं।
iii. शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय-सीमा दी गई है।
iv. शहरी सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को उनके घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सक्षम हैं।
v. ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक हो गई
vi. सहकारी बैंकों को सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदाता संस्थान [MLI] के रूप में शामिल किया गया है।
vii. सहकारी बैंकों को आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है।
viii. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनुसूचीकरण मानदंडों की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

ix. बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन के लिए मौद्रिक सीमा को उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया है जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्यों को पूरा करते हैं।

x. यूसीबी क्षेत्र के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसंरचना और संचालन सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) नामक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) का गठन किया गया है।

(ख): सहकारी बैंक मूलतः सहकारी समितियां हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। केवल 67 बहु-राज्य शहरी सहकारी समितियां बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत और विनियमित हैं।

हालांकि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), जो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, अपने दायरे में आने वाली गतिविधियों के लिए सहकारी बैंकों को बुनियादी ढांचे के विकास एवं उनके द्वारा अपने सदस्यों को आगे ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

एनसीडीसी द्वारा सहकारी बैंकों को जारी वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है-

**(करोड़ रुपए में)**

| **वित्तीय वर्ष** | **सहायता (ऋण के रूप में) जारी** |
|---|---|
| 2021-22 | 3225.00 |
| 2022-23 | 9280.00 |
| 2023-24 | 3740.00 |
| 2024-25* | 6098.00 |
| ***13/03/2025 तक** | |

(ग) एवं (घ): ग्रामीण सहकारी बैंकों को उनकी पूंजी और प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

**(i) ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCB) में पूंजी वृद्धि के लिए नए साधन:** बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के संशोधित प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से StCB (राज्य सहकारी बैंक) और DCCB (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) पर लागू किए गए। BR अधिनियम, 1949 में संशोधन का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और RBI के शासन और निगरानी में सुधार करके सहकारी बैंकों को मजबूत करना है, साथ ही बैंकों के लिए पूंजी तक बेहतर पहुँच को सक्षम करना है। 19, अप्रैल 2022 की अधिसूचना के अनुसार, RBI ने RCB के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे उन्हें अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए वरीयता शेयर और ऋण साधन जारी करने की अनुमति मिलती है।

**(ii) कमजोर आरसीबी को मजबूत करने की योजना:** नाबार्ड ने बहुआयामी व्यापक टर्न अराउंड प्लान (टीएपी) की तैयारी और कार्यान्वयन के माध्यम से कमजोर आरसीबी को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है । टीएपी में वित्तीय मापदंडों के साथ-साथ अन्य प्रमुख पहलुओं जैसे कि व्यवसाय विविधीकरण, आंतरिक जांच और नियंत्रण, शासन, लागत युक्तिकरण, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने, वित्तीय समावेशन आदि को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, जो कमजोर आरसीबी के कामकाज में समग्र सुधार के लिए आवश्यक हैं।

**(iii) सहकारिता में सहकार के राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से आरसीबी का कारोबार बढ़ाना:** सहकारिता में सहकार सहकारी आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। इस मंत्रालय ने सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को सहकारी बैंकों के माध्यम से लेन-देन/व्यापार संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। साथ ही, ग्रामीण सहकारी बैंकों को सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस अभियान से आरसीबी के कारोबार में वृद्धि, सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए ऋण उपलब्धता में आसानी तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों के बैंक मित्र के रूप में कार्य करने वाली प्राथमिक डेयरी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम सामने आए।

****